सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/47 दर्ज तिथि:– 29.11.2024

1. नन्दकिशोर पुत्र श्योकरण माली निवासी ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया तह. व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. पालाराम पुत्र गीनाराम माली निवासी ग्राम खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– हीरालाल मंडार
अप्रार्थीगणः– श्री सुरेन्द्र राहड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि:– 11.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. वाके खण्डवा पट्टा झारिया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू में स्थित है।
2. प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. के उत्तरी पूर्वी सींव के चिपते ही कटानी रास्ता है एवं उत्तरी पश्चिमी सींव के चिपते ही अप्रार्थी पालाराम की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 280/134 है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि को प्रार्थी पीढ़ियों से बतौर खातेदारी काश्त करता आ रहा है।
3. अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 280/134 की सीमा प्रार्थी के खसरा संख्या 135 के उत्तरी पश्चिमी की सींव से लगती है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 हमेशा सींवों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है व सींव को नष्ट करता रहता है। सींवों को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच आये दिन विवाद रहता था। विवादित सींव को स्थाई करने के लिए प्रार्थी ने बार–बार अप्रार्थी से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी नहीं मान रहा है व लगातार सींव को नष्ट कर रहा है जिस कारण सीमाओं का पुख्ता सीमांकन [illegible] किया जाना आवश्यक है।
4. प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि आप अपने खसरा [illegible] का विधिवत सीमा ज्ञान करवा लो लेकिन अप्रार्थी ने अपने खसरा [illegible] नहीं करवाया तब जाकर प्रार्थी ने सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत [illegible] की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी [illegible] दिनांक 03.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा कृषि भूमि खसरा [illegible]या 135/3.1616 हैक्ट. [illegible] भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर जरीब चलाकर सीमा ज्ञान करना चाहा सीमा ज्ञान करने पर मौके पर खसरा संख्या 135 की कृषि भूमि 2.9400 हैक्ट. पाई गई जो 0.2216 हैक्ट. कम है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का ने अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की व मौका पर मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये।

5. प्रार्थी ने अप्रार्थी को कहा कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि नपती कराने पर कम पाई गई है व उसी समय अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाने का प्रयास किया गया क्योंकि मौका पर पुख्ता सीमा नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई बार कहा गया व दूसरों से भी कहलवाया गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि व अप्रार्थी की कृषि भूमियों की पैमाईश करवाकर दोनों के बीच की सींव को पुख्ता सीमाकंन करवा लिया जावे ताकि प्रार्थी के साथ सीमा विवाद पैदा ना हो, इस पर पहले तो अप्रार्थी हां हूं करता रहा मगर आखिर में दिनांक 11.11.2024 को ऐसा करने से अर्थात् दोनों के खातेदारी कृषि भूमि के बीच पुख्ता सींव पैमाईश करवाकर कायम करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार होने से यह आवेदन पत्र पेश करने का प्रार्थी को आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थी के द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थी को कारण प्राप्त है। प्रार्थना–पत्र से संबधित कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 02 के पावर व पजेशन में है।

6. प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने पर सारी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 02 को ही करनी है इसलिए तकमीलन पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी संख्या 02 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए बिना नोटिस यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. वाके रोही गांव खण्डवा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू की सीमाओं का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमाकंन कर पुख्ता निशान देकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

7. वादगत कृषि भूमि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इस कारण इस आवेदन पत्र के प्रति हर प्रकार के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

8. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक आपतियां पेश कर निवेदन किया कि जिसमें प्रार्थी द्वारा धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है वह भू अभिलेख अधिकारी को पेश न करके उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया है जो कानूनन उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पोषणीय नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भू अभिलेख अधिकारी ही सुनने हेतु सक्षम है ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। खसरा संख्या 135 तादादी 3.1616 हैक्ट. वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया की पत्थरगढ़ी के संबंध में जो प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है उसमें मात्र ख. नं. 280/134 तादादी 2.0740 हैक्ट. वाके रोही खण्डवा पट्टा झारिया के खातेदार पालाराम के खिलाफ पेश किया गया है जबकि ख. नं. 135 के दक्षिणी–पूर्वी तरफ के पड़ौसी ख. नं. 136 के खातेदार गोविन्द, धापू देवी, विमला, संतोष व हंसराज पिसरान पूर्णाराम जाति माली निवासी खण्डवा जो आवश्यक पक्षकार है इनको जानबूझ कर प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि ख. नं. 135 व 136 के मध्य में कोई सीमा चिन्ह नहीं [illegible] 36 की कृषि भूमि मौके पर दौराने एक भूमि भौतिक रूप से मौजूद है ऐसी स्थि[illegible] का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। कृषि भूमियों की पैमाईश आदि ज[illegible] जून से नवम्बर माह तक कृषि भूमियों में काश्त होने [illegible] व पत्थरगढ़ी बाबत किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता व पैमाईश व पत्थरगढ़ी नहीं करवायी जा सकती यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कानूनन बाध्यता है। मदवार जवाब प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज कथन स्वीकार हैं। मद संख्या 02 में दर्ज तथ्य स्वीकार हैं। मद संख्या 3 से 5 में दर्ज तमाम कथन बनावटी व झूठे दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 6 व 7 में लिखे तथ्य खिलाफ कानूनी है। जवाब प्रार्थना–पत्र के विशेष कथन में अंकन किया गया है कि खसरा संख्या 135 व 136 के मध्य कोई सीमा चिन्ह आदि भौतिक रूप से आज भी मौजूद नहीं है इन दोनों खसरों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड से ज्यादा कृषि भूमि मौके पर भौतिक रूप से मौजूद है ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 136 के खातेदार पूर्णाराम के वारिसान गोविन्दराम, हंसराज वगैराह को पक्षकार संयोजित कर प्रार्थी के खसरा संख्या 135 का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त खसरा संख्या 136 की भी पैमाईश करवायी जानी कानूनन आवश्यक है ताकि प्रकरण का सही निस्तारण हो सके अतः प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

9. प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण की ओर से पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। न्यायालय द्वारा विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अनावश्यक रूप से पेश किया है क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी सीमा संबंधित विवाद नहीं रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतों के मध्य उत्तरी पश्चिमी पूरी तरह से सुरक्षित है तथा आज भी मौके पर मौजूद है। खसरा संख्या 136 के खातेदार के वारिसान को पक्षकार संयोजित कर पैमाईश करवाई जावे। इसलिए प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

10. मैंने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

11. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनु[illegible]पलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्राव[illegible]ये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया [illegible]यम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है [illegible] भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि [illegible] प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

12. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. वाके खण्डवा पट्टा झारिया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके खण्डवा पट्टा झारिया के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि सीमा ज्ञान के दौरान उक्त खसरे की भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. वाके खण्डवा पट्टा झारिया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 135/3.1616 हैक्ट. वाके खण्डवा पट्टा झारिया पटवार हल्का खण्डवा पट्टा चूरू तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 11.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू